न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, गाजियाबाद।

उपस्थित– अरविन्द मिश्र (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O Code–UP 6263

सत्र परीक्षण संख्या 680/2025

(कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–2817/2025)

सरकार बनाम अब्दुर्रहमान

मु०अ०सं० 350/2025

अंतर्गत धारा 420 व 326 भा०दं०सं०

एवं धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021

थाना कोतवाली, जिला गाजियाबाद।

15.12.2025

1. पत्रावली पेश हुई।

2. पत्रावली आज अभियुक्त अब्दुर्र रहमान के द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.11.2025 के निस्तारण हेतु नियत है। उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. आवेदक/अभियुक्त अब्दुर्र रहमान के द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र के अनुसार, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 BNSS संख्या 10587/2025 अब्दुर्र रहमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 03.04.2025 के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह उन्मोचन प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत तथ्यों पर व झूठी लिखवायी गयी है। हर्षा भारती सारंगी एवं आवेदक/अभियुक्त ने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन हर्षा भारती सारंगी के माता पिता उक्त शादी के खिलाफ थे और उन्होंने झूठी रिपोर्ट नोएडा में दी थी, जिसमें छानबीन के बाद नोएडा पुलिस ने झूठा पाया और उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं की। वर्ष 2022 में मु०अ०सं० 156/2022 अंतर्गत धारा 420 भा०दं०सं० थाना कोतवाली में झूठा दर्ज कराया गया, जिसमें पीडिता हर्षा भारती सारंगी के बयान हुये और विवेचना अधिकारी ने झूठी रिपोर्ट मानते हुये उक्त केस में अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी थी। इससे पहले भी एक झूठा परिवाद संख्या 6970/2021 धारा 324, 307, 201, 466, 468, 471, 34 भा०दं०सं० दायर किया, जिसमें उच्च न्यायालय से कार्यवाही स्थगित है। प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता हर्षा भारती सारंगी का धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान हुआ, जो केस डायरी का पार्ट है। पीडिता हर्षा भारती सारंगी के बयान के बाद कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं बनता है, मात्र आवेदक/अभियुक्त को तंग व परेशान करने की नियत से लगातार झूठे मुकदमे लिखाये जा रहे हैं। पूरी केस डायरी में कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिससे प्रथमदृष्टया ये साबित हो कि अपराध बनता है। आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ विवचेनाधिकारी ने कोई ऐसा साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया, जिससे अपराध की पुष्टि होती हो। हर्षा भारती सारंगी ही मुख्य गवाह है और उसने सारी बातें विवेचनाधिकारी को बताई है और किसी भी अपराध का होना नहीं बताया है। पीडिता हर्षा भारती सारंगी एक एम०बी०बी०एस० डाक्टर है और उसने अपने बयान में बताया है कि उसने अपने बेटे

की सुन्नत (खतना) नहीं कराई, बल्कि डॉक्टर की सलाह पर उसका सीजर कराया है। पीडिता हर्षा भारती सारंगी के बयान के बाद कोई वजह विवेचनाधिकारी को चार्जशीट लगाने की नहीं है, लेकिन विवेचनाधिकारी ने दवाब में आकर चार्जशीट प्रेषित कर दी है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में उसको उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

4. आरोप के स्तर पर आरोप बनाये जाने या अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने के संदर्भ में यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि विवेचना के उपरान्त संकलित किये गये साक्ष्य या जाँच के दौरान प्राप्त किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पक्ष को सफाई साक्ष्य का मौका दिये बिना भी अभियुक्तगण को प्रकरण में दोषसिद्ध किये जाने का साक्ष्य मौजूद न हो, तो उस परिस्थिति में न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप बनाये जाने के स्थान पर उसे उन्मोचित कर देना चाहिए। साथ ही उन्मोचन के स्तर पर न्यायालय को केवल विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य या जाँच के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर ही निष्कर्ष देना चाहिए। अर्थात इस स्तर पर न्यायालय अभियुक्त पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष नहीं दे सकती और यदि विवेचना या जाँच के दौरान प्राप्त किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रश्नगत अपराध किये जाने का युक्तियुक्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद हो, तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाना चाहिए।

5. प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी मुकदमा सांगविका सारंगी ने इस आशय की दर्ज करायी कि उसके पुत्री हर्सा को अभियुक्त अब्दुर्र रहमान ने लव जिहाद के झाँसे में फंसाकर उसे दिनांक 17.11.2017 को जला दिया, जिसका इलाज उसने करवाया। बाद में सन 2018 में अब्दुर्र रहमान ने उसकी पुत्री को धर्म परिवर्तन का ढोंग करके उसके साथ आर्य समाज मन्दिर तथा हिन्दू महासभा में शादी कर ली व शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। वादिनी की पुत्री ने सन 2021 में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका अब्दुर्र रहमान ने सुन्नत भी कराया और उसका नाम अली रखा, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि अब्दुर्र रहमान ने हर्सा के साथ धोखे से शादी की है।

6. प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में पीडिता डॉक्टर हर्षा भारती सारंगी का ब्यान अंकित किया, जिसमें पीडिता हर्षा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसकी माँ की द्वारा लिखाये गये तथ्य व उसकी माँ द्वारा धारा 161 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिये गये ब्यान में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए यह बताया कि दिनांक 17.11.2017 को दुर्घटनावश वह जल गयी थी, जिसमें अब्दुर्र रहमान की कोई भूमिका नहीं थी। उसके माता पिता जबरदस्ती उससे अब्दुर्र रहमान के विरुद्ध मुकदमा लिखवाने को दवाब डाल रहे हैं और उसके पति को षडयन्त्र के तहत लव जिहाद में फंसाना चाहते हैं।

7. उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथमदृष्टया यही प्रतीत होता है कि वादिनी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का समर्थन किया गया, परन्तु स्वयं पीडिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के विपरीत ब्यान दिया है।

8. विवेचना के दौरान अंकित पीडिता के ब्यान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० के आधार पर अब्दुर्र रहमान ने उसके कहने पर हिन्दु धर्म अपना लिया और उसके उपरान्त पीडिता हर्षा ने अब्दुर्र रहमान से शादी कर ली। उक्त शादी से उसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अली रखे जाने के संदर्भ में पूछने पर पीडिता ने यह कहा कि यह उसका व्यक्तिगत

मामला है और नाम रखे जाने से अपराध की पुष्टि नहीं होती और पीडिता के द्वारा अपने बच्चे मौहम्मद अली का खतना/सुन्नत कराये जाने के संदर्भ में पीडिता ने यह कहा कि उसका खतना नहीं हुआ, बल्कि उसका एक ऑपरेशन दिल्ली में कराया गया। पीडिता ने यह भी कहा कि डॉक्टर निशान्त छर्जर के द्वारा नोएडा में उक्त ऑपरेशन किया गया।

9. उल्लेखनीय है कि उक्त ऑपरेशन के संदर्भ में पीडिता ने एक जगह यह ब्यान दिया कि उक्त ऑपरेशन दिल्ली में हुआ, जबकि दूसरी जगह यह ब्यान दिया कि उक्त ऑपरेशन डॉक्टर निशान्त छर्जर ने नोएडा में किया। इस संदर्भ में केस डायरी के पर्चा संख्या 25 में विवेचक ने उक्त डॉक्टर को नोएडा में ढूंढकर उसका ब्यान लिये जाने का प्रयास किया तो यह तथ्य पता चला कि उस नाम का कोई भी डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि पीडिता हर्षा ने इस संदर्भ में झूठा/भ्रामक ब्यान दिया है।

10. केस डायरी के पर्चा संख्या 14 में विवेचक ने अभियुक्त अब्दुर रहमान के रिश्तेदार व पडोसियों का ब्यान अंकित किया, जिसमें रियाज अहमद, मौ० इकराम, शकील, शाहिद, मौ० जावेद, मौ० कैफ, आजाद रियाजुद्दीन व इबादुर्रहमान महत्वपूर्ण हैं, जिनके ब्यान के अनुसार अब्दुर रहमान ने धर्म बदलकर हिन्दू लड़की हर्षा से शादी की और अब्दुर रहमान ने केवल शादी करने के लिए धर्म बदला। साथ ही इन साक्षीगण ने यह भी ब्यान दिया कि अब्दुर रहमान अब इस्लामिक रीति रिवाज से सारे इस्लामिक त्यौहार ईद, बकरा ईद व रमजान में रोजे इत्यादि मनाता है और नमाज पढने के लिए मस्जिद भी जाता है और यह भी ब्यान दिया कि अब्दुर रहमान ने अपने पुत्र का खतना भी इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार कराया है। दौरान विवेचना अभियुक्त अब्दुर रहमान का ब्यान भी अंकित किया गया। अब्दुर रहमान ने अपने ब्यान में यह स्वीकार किया कि उसने हिन्दू धर्म अपनाकर पीडिता के साथ शादी की, परन्तु यह प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि हिन्दू धर्म अपनाने के उपरान्त उसके द्वारा हिन्दु धर्म का पालन किये जाने के संदर्भ में कोई विशेष कृत्य किया जाता हो।

11. विवेचना के दौरान संकलित उपरोक्त वर्णित साक्ष्य के आधार पर, इस स्तर पर यही प्रतीत होता है कि अभियुक्त अब्दुर रहमान ने पीडिता से शादी करने के लिए हिन्दू धर्म अपनाया, जबकि विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर यह साक्ष्य प्राप्त हुआ कि पीडिता हर्षा के साथ शादी करने के उपरान्त वह इस्लाम धर्म से जुडे हुए त्यौहारों को मनाता है और मस्जिद में नमाज पढने जाता है और इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार ही उसने अपने पुत्र का सुन्नत/खतना भी कराया। अभियुक्त अब्दुर रहमान के द्वारा विवाह के उपरान्त इस्लामिक रीति रिवाज से संबंधित उक्त कार्यवाही किये जाने से इस स्तर पर यही निष्कर्ष निकलता है कि उसके द्वारा वर्तमान समय में इस्लाम धर्म का पालन किया जा रहा है।

12. अभियुक्त अब्दुर रहमान व पीडिता हर्षा के संसर्ग से उत्पन्न पुत्र का नाम मौ० अली रखे जाने के तथ्य से भी प्रथमदृष्टया यही प्रतीत होता है कि अभियुक्त के द्वारा उक्त पुत्र की परवरिश भी इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार की जा रही है। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि उक्त पुत्र का सुन्नत/खतना भी कराया गया। इस संदर्भ में पीडिता हर्षा के द्वारा झूठे व भ्रामक ब्यान दिया जाने का तथ्य भी यह प्रदर्शित करता है कि पीडिता के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में तथ्यों को छिपाकर झूठा ब्यान दिया जा रहा है। दौरान विवेचना अभियुक्त अब्दुर रहमान व पीडिता हर्षा के पुत्र

मौ० अली का मेडिकल परीक्षण भी हुआ और संबंधित डॉक्टरों का ब्यान भी अंकित किया गया, जिसका उल्लेख केस डायरी के पर्चा संख्या 23 व 24 में है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट व डॉक्टरों के ब्यान में उक्त बालक मौ० अली का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टरों ने भी यही ब्यान दिया कि जाँच के दौरान यह प्रतीत होता है कि उक्त बच्चे का सुन्नत/खतना कराया गया है, क्योंकि यदि ऑपरेशन हुआ होता, तो लिंग में उक्त स्थान पर स्ट्रेच मार्क आते, जोकि उक्त बालक के संदर्भ में अनुपस्थित हैं।

13. प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अब्दुर्र रहमान के द्वारा केवल विवाह किये जाने के उद्देश्य से हिन्दू धर्म अपनाया गया, जबकि विवाह के उपरान्त अभियुक्त अब्दुर्र रहमान इस्लामिक रीति रिवाजों व इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है। पीडिता के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिये गये ब्यान में भ्रामक व झूठे कथन किया जाना इस स्तर पर इस ओर इंगित कर रहा है कि शायद पीडिता किसी दवाबवश या अन्य कारणवश सही बात नहीं बता रही है, जिस कारण केवल पीडिता के ब्यान के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में आरोप के स्तर पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, बल्कि विवेचना के उपरान्त संकलित किये गये समग्र साक्ष्य के आधार पर ही कोई निष्कर्ष दिया जा सकता है।

14. अतः विवेचना के दौरान संकलित उपरोक्त वर्णित साक्ष्य तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन के उपरान्त, इस स्तर पर यह प्रदर्शित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अब्दुर्र रहमान के विरुद्ध आरोप बनाकर विचारण किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है और उसका उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अब्दुर्र रहमान की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.11.2025 निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम दिनांक को धारा 420, 326 भा०दं०सं० एवं धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 में आरोप विरचित किये जाने हेतु व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हों।

पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 02.01.2026 को पेश हो।

(अरविन्द मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 6
गाजियाबाद।